



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229876
CG-DL-E-23092021-229876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943

No. 534]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 650(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि रिपोर्टकर्ता इकाई अर्थात् मैसर्स कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और विनियामक प्राधिकारी अर्थात् भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात् मैसर्स कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड, को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11क के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधार अभिप्रमाणन सेवा कार्य संपन्न करने के लिए रिपोर्टकर्ता इकाई के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पी-12011/10/2020-सीएस सेल-डीओआर]

रित्विक पांडे, संयुक्त सचिव (राजस्व)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2021

G.S.R. 650(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government on being satisfied that the reporting entity i.e. M/s Computer Age Management Services Limited comply with standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred as the Aadhaar Act) and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the regulatory authority, namely the Pension Fund Regulatory and Development Authority of India, hereby notifies the reporting entity as M/s Computer Age Management Services Limited to undertake Aadhaar authentication service of the Unique Identification Authority of India under section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002.

[F.No. P-12011/10/2020-ES Cell-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy. (Revenue)